झारखण्ड सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

चौबीसों जिलों में शुरू करें कंगारू केयर मदर युनिट : प्रधान सचिव, निधि खरे

शिशु देखभाल से संबंधित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक

सभी जिलों के सिविल सर्जन को जल्द से जल्द स्टाफ नर्स की नियुक्ति करने का निर्देश

रांची, 03 जुलाई 2018: नवजात शिशु देखभाल व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने एक महीने की समय सीमा में राज्य के चौबीसों जिलों में कंगारू मदर केयर (केएमसी) युनिट शुरू करने का निर्देश दिया है। इस युनिट में मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर रखती है जिससे बच्चा मां का दूध आसानी से पी पाता है। ये केंद्र सभी जिला अस्पतालों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित किये जायेंगे। हालांकि अभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग के बाद पांच जिलों में इसे प्रारंभिक तौर पर शुरू किया गया है। प्रधान सचिव निधि खरे मंगलवार को नामकुम स्थित आरसीएच सभागार में नवजात शिशु देखभाल से संबंधित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं।

इसी क्रम में प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को जल्द से जल्द स्टाफ नर्स की नियुक्ति करने का निर्देश भी दिया। शिशु स्वास्थ्य की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए निर्णय लिया गया कि विभाग के ऐसे चिकित्सक जो स्वेच्छा से शिशु स्वाास्थ्य में अपनी सेवा देना चाहते है उनके लिए विभाग शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। वहीं जो चिकित्सक इमॉक और बीमॉक की ट्रेनिंग ले चुके हैं और फेसिलिटी में अपनी सेवा नहीं दे रहे हैं उन्हें चेतावनी दिया जायेगा। समीक्षा के दौरान रिम्स में 15 जुलाई तक न्युबोर्न रिसोर्स सेंटर शुरू करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान अभियान निदेशक, एनएचएम कृपानंद झा, प्रशासी पदाधिकारी आसिफ एकराम, रिम्स, डॉ अजीत प्रसाद, डॉ वीणा सिन्हा, पुष्पा मारिया बेक रिम्स के शिशु रोग विशेषज्ञ, युनिसेफ के प्रतिनिधि और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

एसएनसीयु में नवजात को रेफर नहीं करनेवाली सहियाओं को जारी होगा नोटिस

समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, निधि खरे ने वैसी सहियाओं को चिह्नित करने का निर्देश दिया जो प्रसव के 48 घंटे के अंदर होम बेस्ड न्युबोर्न केयर (एचबीएनसी) माता और नवजात की जांच करने नहीं जातीं। ऐसी सहियाओं को नोटिस जारी किया जायेगा। वहीं जो सहिया एक साल में एक भी नवजात को एसएनसीयु में रेफर नहीं करेगी उन्हें भी चिह्नित किया जायेगा। समीक्षा के क्रम में निधि खरे ने निर्देश

दिया कि प्रि मेच्योर, लॉ बर्थ और सिक बर्थ बच्चों की रिपोर्टिंग सहिया करेगी। जमशेदपुर एमजीएम स्थित एनआईसीयु में 32 प्रतिशत मृत्यु होने के आंकड़ों पर प्रधान सचिव ने ऐसे केंद्रों में विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया साथ ही साथ सुधार के आवश्यक कदम उठाने की बात कही। एसएनसीयु में हर तरह के स्टाफ की कमी को दूर करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा में हुई चर्चा

समीक्षा के दौरान 'रिव्यु ऑन प्रोगेस ऑफ नियोनेटल केयर', चाइल्डहुड डेथ डिस्ट्रीब्युशन, भारत में नवजात शिशुओं की मौत के कारण, डायरिया, न्युमोनिया, सेप्सिस और अन्य कारणों से होने वाले मृत्यु पर चर्चा की गयी। इंपैक्ट ऑफ एविलिएबिलिटी और सेकेंड्री/ट्राइसरी लेवल केयर ऑन एनएमआर, हाइ इंपैक्ट इंटरवेंशन टू रिड्युस नियोनेटल शिशु मृत्यु अनुपात, जन्म के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं, बीमार जन्मजात की देखभाल, समुदाय द्वारा देखभाल, एसएनसीयु ऑनलाइन मॉनिटरिंग, एसएनसीयु बेड ऑक्युपेंसी रिर्पोट, एडमिशन बाइ जेंडर परसेंटेज, काउज ऑफ डेथ इन एसएनसीयु, एसएनसीयु एचआर स्टेटस पर भी चर्चा की गयी।

इन जिलों में संचालित किये जा रहे हैं एसएनसीयु

झारखंड में 18 एसएनसीयु रिम्स–रांची, पीएमसीएच धनबाद, घाटशिला, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, देवघर और दुमका में संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में आठ नये एसएनसीयु रामगढ़, चतरा, खूंटी, लोहरदगा, गढ़वा, सरायकेला, रांची और पूर्वी सिंहभूम में शुरू किये जायेंगे।

नोडल ऑफिसर
आई0 ई0 सी0 कोषांग